

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

ई-मेल jdfbudget@gmail.com

क्रमांक/बजट(ए)/03/चिकि.व्यय.प्रति./2019-20/196
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 20-8-2019

संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण - ग्वालियर, शहडोल संभाग
मध्यप्रदेश।

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 9230-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 9230-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

बजट शीर्ष / मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ के नाम	स्वीकृत राशि
40 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) 2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निर्देशन एवं प्रशासन 9230 संयुक्त संचालक कार्यालय की स्थापना। 11 वेतन, भत्त 8888 V मतदेय 09 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	श्री दिलीप सिंह राजपूत, निज सहायक, कृते संयुक्त संचालक, ग्वालियर। श्रीमती बेला सिंह, सहा. ग्रे2 संयु.संचालक शहडोल	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर के डी.डी. ओ.कोर्ड 1412003019 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग शहडोल के डी.डी. ओ.कोर्ड 3702003011	RS.3,38,256=00 RS.1,74,628=00
(रूपये पाँच लाख बारह हजार आठ सौ चौरासी मात्र) RS 5,12,884=00			

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।
"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"


(संयुक्त कुमार)
संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.।

//2//

पृष्ठांकन क्रमांक/बजट(ए)/03/चिकि.व्यय.प्रति./2019-20/197
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक: 20-8-2019

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी - ग्वालियर, शहडोल।
3. सहायक संचालक (बजट) की ओर बजट फीड किए जाने हेतु।
4. समस्त संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.।

ॐ